


INDIA NON JUDICIAL Rs. 50/- ADC पचास रुपये

CHANDRAVEER SINGH
Advocate
Sable Dist. Dungearpur
R.N. 1284/2018
GOVT OF RAJASTHAN



राजस्थान अध्यापक सेवा अधिनियम 1968 के अन्तर्गत
प्रमाणित या प्रमाणित अधिभार
1. आधारभूत अध्यापकता सुविधाओं हेतु।
(घारा 3 क) 10% रुपये.....
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु
(घारा 3 ख) 10% रुपये.....
कुल योग रु. 20/-
हस्ताक्षर चन्द्रवीर

--: शपथ-पत्र :-

मैं केशर सिंह पिता माधव सिंह जाति राजपुत निवासी उस्मानिया ग्राम पंचायत भेवडी तह. आसपुर जिला डूंगरपुर का होकर शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि

1. मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मैं उक्त पते पर निवासरत हूँ।
2. मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरा वास्तविक नाम केशर सिंह पिता माधव सिंह है जो कि मेरे राशनकार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में दर्ज है लेकिन मेरा नाम कुछ रेकार्ड में केर सिंह पिता माधव सिंह है जो गलत है।
3. मैं शपथपूर्वक निवेदन करता हूँ कि मेरा नाम कृषि रेकार्ड मे केशर सिंह किया जावे जो सही है।
4. मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सभी कथन सही एवं सत्य है।

दिनांक : 01-11-2021

केशर सिंह
हस्ताक्षर शपथकर्ता

--: सत्यापन :-

मैं केशर सिंह पिता माधव सिंह जाति राजपुत निवासी उस्मानिया ग्राम पंचायत भेवडी तह. आसपुर जिला डूंगरपुर का होकर प्रमाणित करता हूँ की उपरोक्त लिखी कुलिया ईबारत सही होकर सत्य है।

दिनांक : 01-11-2021

केशर सिंह
हस्ताक्षर शपथकर्ता

ATTESTED
R.N. 1284/2018
Chandraveer Singh Rathore
Sable Dist. Dungearpur (Raj.)
1.11.2021

बयान केस मेवडी दिनांक 11/11/21

मैं उर्फ राजीव सिंह पिता माधव सिंह उद्योग
मिथली उल्हासिया का होकर हमारा गांव उल्हासिया में
जिला नं. 62 के केसर सिंह, पुनन सिंह, राजीव सिंह पिता माधव सिंह
गांव. वरु है। जिनके मेरे माता का केसर सिंह की पत्नी केसर सिंह
गाम वरु हो गया है। * माता गाम केसर सिंह सभी गाम से उरु
उरुके सभी वरुके प के सभी गाम केसर सिंह की वरु मीठ
सभी गाम वरु कुले पर ~~हमारे~~ उरुके केसर सिंह आपनी या
उरुके गाम वरु है यह वरुके केसर सिंह पते के केसर सिंह
वराव के बयान करता हूँ जो वास्तविक सत्य है।

राजनीत सिंह
(राजनीत सिंह / माधव सिंह)

L & AC

01/11/2021